

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, राजस्थान-जयपुर।

क्रमांक: प.7(2251)/निचिस्वा/विधि/अव./2019/ 813

दिनांक:- 26/7

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
चूरु एवं समन्वयक।

विषय:-एस0बी0सि0 अवमानना याचिका संख्या 264/2019 ज्योति देवी बनाम श्री राकेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, राजस्थान-जयपुर, में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता से सम्पर्क कर जवाब प्रस्तुत कराने बाबत। (माईगेशन के आधार पर जीएनएम नियुक्ति बाबत)

संदर्भ:-विधि विभाग का पत्र क्रमांक एफ-1(857)एल-5/जेडीआर/2018 दिनांक 15.07.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त विधि परामर्शी, शासन सचिवालय के पत्रांक एफ-1(857)एल-5/जेडीआर/2018 दिनांक 15.07.2019 के द्वारा वर्णित अवमानना प्रकरण में प्रतिरक्षण व जवाब प्रस्तुत कराने हेतु श्री करण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को नियुक्त किया गया है कि प्रति भेजकर लेख है, कि प्रकरण में अविलम्ब नियुक्त महाधिवक्ता से सम्पर्क कर जवाब/प्रतिरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

संलग्न:-अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्ति आदेश पत्र की प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:- 26/7/19

क्रमांक: प.7(2251)/निचिस्वा/विधि/अव./2019/ 813

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट शीघ्र तैयार करवाकर संबंधित केस प्रभारी अधिकारी को भिजवाये ताकि उनके द्वारा माननीय न्यायालय में प्रकरण में जवाब/प्रतिरक्षण की कार्यवाही की जा सकें।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, जोन-बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित केस प्रभारी अधिकारी/समन्वयक आदेश संबंधित केस प्रभारी अधिकारी/समन्वयक को तामिल करवाकर तामिल रसीद भिजवाना सुनिश्चित करें तथा प्रकरण की प्रगति को समय-समय पर लाईट्स की वेबसाईट पर अपडेशन करवाना सुनिश्चित करें।
3. श्री करण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
4. डॉ0 बी0एम0 स्वर्णकार, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जोधपुर एवं स्टेडिंग केस प्रभारी अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक जोन-जोधपुर को भेजकर लेख है कि केस अधिकारी प्रभारी उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सूनवाई के दौरान केस में अधिवक्ता/विभागीय प्रतिनिधी की उपस्थिति सुनिश्चित करावे।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
6. सूचना सहायक, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण का इन्द्राज लाईट्स पर कर पालना से अवगत करावे।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये  
राजस्थान, जयपुर।